Single window

सेवा में

**निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग**

बिहार, पटना ।

विषय: मेरे कारखाना 'गुंजन फूड प्रोडक्ट प्रा० लि०' दिदारगंज, पटना सिटी, पटना को सुचारू ढंग से संचालन करने में परेशानी के संबंध में ।

महाशय,

मैं गंगेश गुंजन ''गुंजन फूड प्रोडक्ट प्रा० लि०' निदेशक जिसमें ब्रेड (पावरोटी, रस्क) का उत्पादन होता है दीदारगंज चेक पोस्ट, थाना–मालसलामी, जिला–पटना पर जे०सी०बी० शो रूम के सामने अवस्थित है। मैंने जमीन का लीज 30 (तीस) वर्षों के लिए रजिस्टर्ड लीज करवाया है लेकिन जमीन मालिक द्वारा मुझे उद्योग चलाने नहीं दिया जा रहा है। वो लोग जवरर्दस्ती मुझे दो सालों से दबाव बनाए हुए है कि आप अपना मशीन यहाँ से ले जाएँ । मेरा उत्पादन दो सालों से बंद करवाये हुए है। जमीन मालिक दबंग (यादव) जाति के हैं मुझे हर प्रकार से परेशान टेलिफोन से एवं घर आकर बहुत तंग करते हैं ।

फैक्ट्री का अंदर वायरिंग काट दिया गया है। जेनरेटर को भी खोलकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मोटर, कुर्सी, टेबुल सभी चीज वहाँ से उठवा लिया है। जबकि रजिस्ट्री लीज पत्र के खाना नं०-6 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सन् 2035 तक न ही खाली कराने को कहेगें और न ही खाली कराने के अधिकारी होगें । मैंने यह जमीन बहुत गढ्ढा लिया था उसमें मिट्टी भराया है एवं शेड एवं बाउण्ड्री का निर्माण किया है। कारखाना आने पर मुझे वो लोग मार-पीट करने की भी धमकी देते हैं तथा बोले हैं कि मैं दो दिनों के अन्दर ताला तोड़कर जबरदस्ती सारा सामान उठाकर कवाड़ी के हाथों बेचा देगें ।

अत: श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त बातों पर गौर करते हुए मुझे कारखाना चलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

सधन्यवाद् !

संलग्नक :

लीज पत्र की छायाप्रति ।

विश्वासभाजन

Gangesh Gunjan

Mob. – 9204914412

Email – ...@gmail.com

Date – 15.11.2013

प्रतिलिपि :

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार, पटना ।
2. वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना ।
3. जिलाधिकारी, पटना ।
4. थानाध्यक्ष मालसलामी ।

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

ENROL—41–104

05AA 603935

[illegible] पदाधिकारी श० भू० हु० पटना को [illegible] 6126 [illegible] 21.11.05 के द्वारा [illegible] साठ दिनों की [illegible]

नियम 21 के [illegible] 1899 की [illegible] 35 [illegible] के [illegible] से [illegible] नहीं)।

[illegible] 30.11.05 [illegible]

30/11/05

॥ ऊँ नमः शिवाय ॥

(१) <u>लेख्यकारीगण का नाम व पूरा पता</u> :

1. श्री चन्द्रिका प्रसाद

2. श्री रामजी प्रसाद दोनों के पिता का नाम-स्वर्गीय जगदीश प्रसाद,

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

2

3. श्री कृष्णा प्रसाद, पिता का नाम-स्वर्गीय बिहारी भगत,

4. श्री सुजीत कुमार,

5. श्री अजय कुमार दोनों के पिता का नाम श्री कृष्णा प्रसाद,

6. श्री महीपाल प्रसाद पिता का नाम-श्री बिहारी भगत सभी का निवास स्थान मौजा-रिकावगंज, थाना-मालसलामी, पत्रालय-झाउगंज पटना सिटी, जिला-पटना।

----- प्रथम पक्ष

11-11-2005

1000 Rs.

3

7. मेसर्स गुंजन फूड प्रोडक्ट प्रा० लिमिटेड डाईरेक्टर गंगेश गुंजन पिता का नाम- श्री प्रभु नारायण ठाकुर निवास स्थान मोहल्ला-बंगाली कॉलोनी, थाना-चौक, पत्रालय-बेगमपुर, जिला-पटना।

---- द्वितीय पक्ष

( २ ) <u>लेख्यधारी का नाम व पूरा पता</u> :

परस्पर (आपस में प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच)

( ३ ) <u>लेख्य प्रकार</u> - लिज-पत्र 30 वर्ष तक के लिये।

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES



(४) **माहवारी किराया की राशि** - मो० 5,337/- पांच हजार तीन सौ सैतीस रूपये प्रति माह बाजार मुल्य के अनुसार तय पाया है।

(५) **सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण** :

क्षेत्रफल - 13206 वर्गफीट (तेरह हजार दो सौ छ: वर्गफीट) एराजी हकियत जमीन परती, सम्पत्ति अवस्थित मौजा-अब्दुल रहमानपुर, थाना-मालसलामी, जिला-पटना, अवर निबंधन कार्यालय पटना सिटी एवं जिला निबंधन कार्यालय पटना। जिसका थाना नं०-39 (उनचालीस), तौजी-बिहार सरकार, खाता नं०-95 (पंचानवे), खसरा नं०-617 (छ: सौ सतरह) बजमीन्दारी बिहार सरकार, अंचल कार्यालय सदर पटना,

सम्पत्ति का सलाना लगान मो० रूपया/पैसा अलावे शेष।

नापी

उत्तर से दक्षिण जानिब पुरब तरफ 120 फीट

उत्तर से दक्षिण जानिब पश्चिम तरफ 93 फीट

पुरब से पश्चिम जानिब उत्तर तरफ 128 फीट

पुरब से पश्चिम जानिब दक्षिण तरफ 120 फीट

कुल क्षेत्रफल 13206 वर्गफीट होता है।

चौहद्दी

| | | |
|---|---|---|
| उत्तर | : | श्री प्रभु दयाल भारतीया |
| दक्षिण | : | श्री महिपाल प्रसाद |
| पुरब | : | श्री राजेन्द्र महतों |
| पश्चिम | : | सहायक रास्ता |

लेख-संदर्भ

विदित हो कि उपर्युक्त भूमि वर्णित खाना नं०-5 की वर्णित सम्पत्ति लेख्यकारीगण का मौरूषी सम्पत्ति है। जिसपर लेख्यकारीगण इजमालन काबिज दखिल मालिक मुस्तकिल है वो उनका हक चला आ रहा है। यह कि लेख्यकारीगण प्रथम पक्षगण उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति के मालिक है। द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्षगण से आकर खाना नं०-5 की भूमि को व्यवसाय फैक्ट्री (गुंजन फूड प्रोडक्ट प्रा० लि०) खोलने के लिये लीज पर देने का आग्रह किया जिसपर प्रथम पक्ष के सदस्य गण ने उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के साथ

30 वर्षो के लिये लीज पर देना स्वीकार किया ।

अतः प्रथम पक्षगण तथा द्वितीय पक्ष अपने अपने तनमन की पूर्ण स्वस्थतता में निर्भय रूप से स्वेच्छा से यह लीज पत्र 30 (तीस) वर्षो के लिये आपस में निम्नलिखित शर्तो के साथ करते हैं। जिसकी पूरी पाबन्दी लेख्यकारीगण प्रथम पक्षगण तथा द्वितीय पक्ष एवं दोनों पक्षों के वारिसानों को है तथा रहेगी।

(1) यह कि उक्त भूमि जिसका वर्णन खाना नं०-5 में है, का माह किराया की राशि 5,337/- पांच हजार तीन सौ सैतीस रूपया प्रति माह का किराया प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष के बीच तय हुआ है जो फैक्ट्री के उदघाटन के दिन से शुरू होगा तथा प्रथम माह में जितना दिन होगा उसका किराया चूकता कर अन्य माह के अंग्रेजी तारीख की पहली तारीख से अंतिम तारीख से तक माह समझ कर महावारी किराया का भुगतान द्वितीय पक्ष प्रथम पक्षगण को किया करेगें उक्त राशि प्रत्येक महीने में 10 तारीख तक अदा करेंगे। द्वितीय पक्ष रूपये अदायगी की रसीद लिखित रूप में प्रथम पक्ष से ले लिया करेंगे, और प्रथम पक्ष माहवारी किराया की राशि प्राप्त कर प्राप्ति रसीद द्वितीय पक्ष को दे दिया करेंगे।

(2) यह कि उक्त भूमि वर्णित खाना नं०-5

पर किसी प्रकार का ऋण भार किया हुआ प्रथम पक्ष, उनके वारिसानों या उनके पूर्वजों का नहीं है अगर भविष्य में किसी तरह का ऋण भार या भूमि विवाद पाया जायेगा या होगा तो उसकी जिम्मेवारी प्रथम पक्षगण पर होगी।

(3) यह कि फैक्ट्री के लिये या कार्यालय के लिये द्वितीय पक्ष जब चाहे या जरूरत हो तो निर्माण कार्य, संबंधित निर्माण संबंधी बदलाव, आधुनिकीकरण या सौंदर्यीकरण कर सकते है। द्वितीय पक्ष फैक्ट्री के सम्बन्धी कोई भी कार्य करने के अधिकारी हैं।

(4) यह कि द्वितीय पक्ष किसी भी हालत में खाना नं०-5 वर्णित सम्पत्ति में कोई अवैध व्यवसाय नहीं करेंगे।

(5) यह कि पानी एवं बिजली का व्यबस्था द्वितीय पक्ष करेंगे।

(6) यह कि इस लीज क मैयाद दिनांक-18-10-2035 तक है। प्रथम पक्षगण इस लीज पत्र में अंकित मैयाद के अन्दर द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि जो खाना नं०- 5 में वर्णित है को खाली करने को नहीं कहेंगे और ना ही खाली कराने के अधिकारी होंगे।

(7) यह कि दक्षिण तरफ से जो भूमि महिपाल प्रसाद प्रथम पक्ष की है। उसमें से एक रास्ता खाना नं०-5 में जाने के लिये द्वितीय पक्ष को देगें।

(8) इस वास्ते यह लिज नामा पत्र लिख दिया कि समय पर काम आवे।

दिनांक : 11/11/05

प्रमाणित किया जाता है कि मूल दस्तावेज वो द्वितीय प्रति एक दूसरे से हु ब हु और सच्ची प्रतिलिपि है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति

बायें हाथ अंगूलियों के निशान पहचानकर्ता द्वारा मेरे समक्ष लिये गये हैं।

*टंकण :* संजय कुमार

सिटी कोर्ट

पटना - 7

*ड्राफ्टकर्ता :*

ललितमोहन प्रसाद

वसीका नवीस

लाइसेंस नं०-199/2002

अवर निबंधन कार्यालय

*पटना सिटी*